



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-273993  
CG-DL-E-02072026-273993

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3384]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/ आषाढ 10, 1948

No. 3384]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ ASADHA 10, 1948

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

का.आ. 3519(अ).—सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2024 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3, 4, 15क और 15ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 उपखंड(ii) सं.आ.का .1868 (अ), के माध्यम से दिनांक 25 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय की अधिसूचनामें निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, खंड - में सारणी में (क)

- i. क्रम संख्या1 के सामने सांख्यिकी अधिकारी से संबंधित, "पते और ई-मेल सहित पदनाम" शीर्षक के अंतर्गत स्तंभ 2 में, "उपनिदेशक (सांख्यिकी प्रभाग)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी प्रभाग) या उपनिदेशक (सांख्यिकी प्रभाग)" शब्द और कोष्ठकप्र तिस्थापित किए जाएंगे;

- ii. क्रम संख्या 2 के सामने न्यायनिर्णायक अधिकारी से संबंधित "मेल सहित पदनाम-पते और ई" शीर्षक के अंतर्गत स्तंभ 2 में, "उप निदेशक शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "(सांख्यिकी प्रभाग), "संयुक्त निदेशक सांख्यिकी ) शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे। "(सांख्यिकी प्रभाग) या उप निदेशक (प्रभाग

[फा.सं. एस-32015/2/2025-सांख्यिकी प्रभाग]

सुदर्शन मैदीरत्ता, संयुक्त सचिव

**नोट:-** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 1868 (अ), के माध्यम से दिनांक 25 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF STEEL

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

**S.O. 3519(E).**—In exercise of the powers conferred by sections 3, 4, 15A and 15B of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2024, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Steel, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S. O. 1868 (E), dated the 25th April, 2025, namely:-

In the said notification, in clause (a), in the Table, -

- i. against serial number 1 relating to statistics officer, in column 2 under the heading "Designation with address and e-mail", for the words and brackets "Deputy Director (Statistics Division)", the words and brackets "Joint Director (Statistics Division) or Deputy Director (Statistics Division)" shall be substituted;
- ii. against serial number 2 relating to adjudicating officer, in column 2 under the heading "Designation with address and e-mail", for the words and brackets "Deputy Director (Statistics Division)", the words and brackets "Joint Director (Statistics Division) or Deputy Director (Statistics Division)" shall be substituted.

[F.No. S-32015/2/2025-STAT.DIV.]

SUDERSHAN MENDIRATTA, Jt. Secy.

Note:- the principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1868 (E), dated the 25<sup>th</sup> April, 2025.